



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



महतारी वंदन योजना 2024

हितग्राही पंजीयन फॉर्म



श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े
माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन,
महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग

आवेदन स्थान :

दिनांक :

व्यक्तिगत जानकारी -

- आवेदिका का प्रकार (जो सही हो उस पर टिक लगाएं) : विवाहित / विधवा / परित्यक्ता / तलाक शुदा
- आवेदिका का नाम (आधार कार्ड के अनुसार) :
- पति का नाम :
- आवेदिका के पिता का नाम :
- आवेदिका की जन्मतिथि :
- जन्मतिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण : दस्तावेज (जो संलग्न हो उस पर टिक लगाए) :
जन्म प्रमाण-पत्र / पेन कार्ड / मतदाता परिचय पत्र / दसवीं की अंकसूची / शाला दाखिला खारिज प्रमाण-पत्र /
ड्राइविंग लाइसेंस
- आवेदिका की जाति : वर्ग :
- क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है : हाँ / नहीं
- यदि हाँ तो, श्रेणी पर टिक लगाए : कमार / बैगा / बिरहोर / पहाड़ी कोरवा / अबूझमाड़िया / भुंजिया / पण्डो
- आवेदिका का स्थायी पता :
.....
राज्य: छत्तीसगढ़ जिला : ब्लॉक / पंचायत: वार्ड क्रं. / ग्राम:
आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम : आंगनवाड़ी केन्द्र का कोड :
- आवेदिका का आधार कार्ड का क्रमांक (संलग्न करें) :
- आवेदिका के पति का आधार कार्ड का क्रमांक (संलग्न करें) :
(परित्यक्ता / तलाकशुदा हेतु लागू नहीं)

मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत / जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमती देती हूँ की मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है।

दूरभाष नंबर : वैकल्पिक दूरभाष नंबर:

सबका साथ- सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

13. आवेदिका का पेन कार्ड का क्रमांक (वैकल्पिक दस्तावेज) :
14. राशन कार्ड क्रं. (वैकल्पिक दस्तावेज) : मुखिया का नाम
15. आवेदिका के पति का पेन कार्ड का क्रमांक (वैकल्पिक दस्तावेज) :
16. क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम / मण्डल / स्थानीय निकाय में स्थायी / अस्थायी / संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी / कर्मचारी है ? हाँ / नहीं
यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ-पत्र संलग्न करें।
17. क्या आवेदिका ऐसी पेंशनभोगी हैं, जो मासिक पेंशन प्राप्त करती हैं? हाँ / नहीं
(यदि, हाँ तो प्रति माह कितना) राशि रु. पेंशन योजना का नाम
- यदि नहीं तो स्व-घोषित शपथ-पत्र संलग्न करें।
18. क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक / भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है?
हाँ / नहीं
यदि नहीं तो स्व-घोषित शपथ-पत्र संलग्न करें।
19. क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकरदाता है। ;परिवार से तात्पर्य पति, पत्नि एवं उन पर आश्रित बच्चों से है?
हाँ / नहीं
यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ-पत्र संलग्न करें।

आवेदन पत्र सहित निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए जो संलग्न किए जाये :

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | जन्मतिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज | <input type="checkbox"/> | आवेदिका के पति का पेन कार्ड |
| <input type="checkbox"/> | निवास संबंधी सक्षम प्राधिकारी जारी प्रमाण पत्र | <input type="checkbox"/> | आवेदिका के पति का आधार कार्ड |
| <input type="checkbox"/> | राशन कार्ड | <input type="checkbox"/> | परित्यक्ता / तलाक शुदा होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र |
| <input type="checkbox"/> | आवेदिका का आधार कार्ड | | |
| <input type="checkbox"/> | विवाह का प्रमाण-पत्र | | |
| <input type="checkbox"/> | विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र | | |

पता :

आवेदिका हस्ताक्षर :

दिनांक :

प्राप्ति अभिस्वीकृति

स्थान :

प्राप्तकर्ता :

दिनांक :

हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे